

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-948/2019/ दिनांक:—


आदेश

निम्नलिखित नर्स श्रेणी द्वितीय, को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित जन्म तिथि के आधार पर मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	राजेश अरोडा	जैसलमेर	01.09.1959	11.06.1990	31.08.2019
2	शिवनारायण	कोटा	05.07.1959	29.01.1983	31.07.2019

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

  
(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-948/2019/628

दिनांक:— 08/07/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- 2 निदेशक, ई0एस0आई0 योजना लक्ष्मी नगर,अजमेर रोड,जयपुर-6।
- 3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर/कोटा।
- 4 उप निदेशक, ई0एस0आई0 योजना लक्ष्मी नगर,अजमेर रोड,जयपुर-6।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर/कोटा।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय जैसलमेर।
- 7 सबधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
- 9 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 10 आदेश पत्रावली।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर